न्यायालय उप तहसीलदार सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज

मुकदमा नं. 28/2019 तारीख दायर 26.6.19

सरकार बनाम गोपाल कृष्ण पुत्र रामजी लाल जाति दर्जी निवासी सिंघाना तहसील बुहाना

राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

:- निर्णय -: दिनांक 18.7.20

पत्रावली आज पेश हुई। गैर सायल उपस्थित नही आया। मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है कि पटवारी हल्का सिंघाना ने सम्वत 2076 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत कि है कि गोपाल कृष्ण पुत्र रामजी लाल जाति दर्जी निवासी सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज. ने ग्राम सिंघाना स्थित भूमि ख0न0 306 रकबा 0.19 हैक्टेयर किस्म बारानी -2, ख0न0 307 रकबा 0.16 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता में से 10 वर्गमीटर भूमि पर दुकान चबूतरा बनाकर अनाधिकृत अतिक्रमण कर रखा है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का के प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को एल.आर.एक्ट. 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया नोटिस प्राप्ति पर अतिक्रमी उपस्थित आया।

अतिक्रमी की ओर से जबाब नोटिस पेश किया गया जिसमें अतिक्रमी ने यह कथन किया गया है कि उपरोक्त भूमि ग्राम सिंघाना की आबादी की भूमि है। जो गैर सायल के पिता स्व. रामजी लाल ने दिनांक 28.8.1962 को जरिए विक्रय पत्र पेमुनल पुत्र चत्रमल जाति महाजन सिन्धी निवासी सिंघाना से खरीद की थी। तथा उक्त खरीद सुदा भूमि में दुकान का स्व. रामजी लाल ने 5.3.1982 को ग्राम पंचायत सिंघाना से पटटा बनवाया था। जो कि मिसल सं. 6/82 तथा पटटा सं. 6 अंकित है। उसमे भी उपरोक्त दुकान करीब 50 साल पुरानी बनी हुई थी। और वह आबादी में बनी हुई थी। गैरसायल की ओर से अपने जबाब में अनाधिकृत अतिक्रमण से इन्कार किया है।

Scanned with CamScanner

गैर सायल के जबाब नोटिस के उपरान्त उक्त अतिक्रमण की पुष्टि के लिए भू.अ.नि. तथा पटवारी हल्का सिघाना से पुनः जांच रिपोर्ट चाही गई। जिसके फलस्वरूप जांच कर्ता कार्मिको ने अपनी जांच रिपोर्ट में उक्त राजकीय भूमि का उपयोग वाणिज्यक में लिया जाना बताया गया है। तथा गैर सायल को बेदखल करने की अनुशंसा की गई है।

पत्रावली पर उपलब्ध जबाब नोटिस एवं उसके संलग्न दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बगौर मनन किया गया। प्रथमतया अतिक्रमी का अतिक्रमण पुनः जांच रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करना साबित पाया जाता है।

लिहाजा अतिक्रमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत गैरसायल गोपाल कृष्ण पुत्र रामजी लाल जाति दर्जी निवासी सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज. को ग्राम सिंघाना के ख0न0 306 रकबा 0.19 हैक्टेयर किस्म बारानी -2, ख0न0 307 रकबा 0.16 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता में से 10 वर्गमीटर भूमि पर दुकान चबूतरा बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किए जाने के फलस्वरूप अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा अतिक्रमित भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतिक्रमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किया गया अतिक्रमण के दण्ड स्वरूप लगान 0.01 की 50 गुणा जुर्माना राशि 0.50 रू. बतौर शास्ति कायम किये जाते है।

तहसील राजस्व लेखाकार बुहाना /भू0अ0नि0 सिंघाना/पटवारी हल्का सिंघाना को वास्ते जमा कायमी /बेदखली/वसूली की जाकर राशि राजकोष मे जमा कराने हेतु लिखा जावे। भू0अ0निरीक्षक सिंघाना को राजकीय भूमि से अतिक्रमण भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तरतीब व तकमील दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम होकर फैसल शुमार रहे।

निर्णय आज दिनांक 10.8.2015 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(रूपचन्द मीणा)
उप तहसीलदार सिंघाना